



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/वि.प.ग./59(2)/150

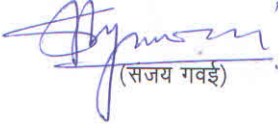
दिनांक: 20.02.2015

अधिसूचना

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में 'अकादमिक गतिविधियों की प्रगति' के लिये 09.02.2015 को प्राध्यापकों/अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की मद संख्या 04 पर लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न सक्षम निकायों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् में निम्नलिखित भूतपूर्व विद्यार्थियों (Alumnies) को नामित किया जाता है-

1. श्री अनिल फरसोले
बुनियादी तामील समिति
सेवाग्राम आश्रम, वर्धा
2. सुश्री अर्चना थूल
सहायक प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग
मुंबई विश्वविद्यालय,
एम.जी.रोड, फोर्ट, मुंबई-400032

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।


(संजय गवई)

प्रति: संबंधित को।

प्रतिलिपि:

1. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
2. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
3. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र
4. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110014
5. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110014
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
7. सहायक कुलसचिव (स्था. एवं प्रशा.) को विश्वविद्यालय के परिनियम-14 (संशोधित प्रति संलग्न) में आवश्यक संशोधन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए।
8. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442005 (Maharashtra), India
वेब साईट/Website : www.hindivishwa.org